

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं. 2, सैकटर-17,
पंचकूला।

Website : www.secharyana.gov.in
Email id : cao.sec@hry.nic.in

Phone No. +91 172 258 4810
Fax No. : +91 172 258 5904

क्रमांक रा०नि०आ०/२-लेखा/२०१५/२२४५-६६
सेवा में,

दिनांक: २२.०९.२०१५

सभी उपायुक्त एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/स्थानीय निकाय)
हरि: ॥।

विषय:-

पंचायत आगे बुनाव-२०१५ के लिए आवश्यक, इफेशमैन्ट, बल किसाया आदि के
लिए अलाट की गई राशि को खार्च करने व अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने वारे।

उपरोक्त विषय पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत),
फतेहाबाद कार्यालय के पत्र क्रमांक ६०५९/पंचायत, दिनांक ९.९.२०१५ द्वारा मांगे गये
मार्गदर्शन बारे निम्न प्रकार से सूचित किया जाता है:-

Points Raised	Reply
1. पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के बुनावों के दौरान होने वाले खर्च जैसाथि मानदेय/सिफेशनैन्ट, इलाके की अदायगी बारे।	इसापे बारे में व्यवत्त किया जाता है कि आयोग के पत्र क्रमांक SEC/2Accounts/2014/307-627 दिनांक २६०८ २०१४ (प्रति संलग्न) द्वारा आपको पहले से सूचित किया हुआ है कि वित्त विभाग, द्वारा समय-२ पर जारी हिदायतों की अनुमालवा के द्वितीय पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों के बुनावों के दौरान होने वाले खर्च की अदायगी Electronic Payment System (EPS) द्वारा की जानी है। बुनावे में नियुक्त हरियाणा सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के Unique Code of Payee (UCP) प्राप्त करके बुनाव सम्बन्ध होने उपरावत मानदेय/सिफेशनैन्ट की अदायगी EPS के आध्यग से की जाए।
2. हरियाणा सरकार के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के इलाका एल०आई०सी०, बैंकरा, डाकघर, हैफेड, मार्केट कर्गेटी व आव्य नगर निगम/बोर्ड आदि ऐसे कार्यालय हैं जो खजाना ये वेतन झ्य भही करते और उनके कोई यूनिक कोड अलाट नहीं है।	यदि UCP प्राप्त करने में असुविधा हो तो वित्त विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक २८/१४/२०११-५B&C दिनांक १४.०५. २०१२ (प्रति संलग्न) के बिन्दु (xii) के अनुसार अदायगी बारे आवश्यक कार्यालयी करें।
3. बैंकोटिंग बारे।	बैंकोटिंग:- अगर आशयकता हो तो बटिलियां आदि किशोर पर लेकर अस्थाई लौट पर बैंकोटिंग करवाई जानी है। आयोग द्वारा जारी पीली पुस्तक में दी गई हिदायतों/आयोग द्वारा समय-२ पर जारी की गई हिदायतों अनुसार कार्यालयी करें। आयोग की Website: www.secharyana.gov.in पर पीली पुस्तक उपलब्ध है।
4. सैकटर/जोनल मैजिस्ट्रेट के साथ जो चालक ड्यूटी पर तैनात होंगे उन्हें किस दर से कितबे दिनों का मालदेय दिया जाना है, बारे मार्ग वर्णन करते हुए इनके लिए अलग से अंट की व्यवस्था की जावे।	इस बारे में व्यवत्त किया जाता है कि सैकटर/जोनल मैजिस्ट्रेट के साथ जो चालक ड्यूटी पर तैनात होंगे, उन्हें हरियाणा सरकार की हिदायतों अनुशास टी.ए./डी.पी. की अदायगी की जानी है।

-2-

<p>5. चुनाव के लिए नाइटर वाहन जैसे कि बस/टक/ट्रॉलर/कैंपर आदि को प्रतिदिन किस दर से किराया अदा किया जाना है, तथा डीजल/पेट्रोल अलग से उपलब्ध करवाया जाना है या किराया में ही शामिल माना जाता।</p>	<p>इस बारे में लिखत किया जाता है कि आयोग के पत्र क्रमांक रा.रि.आ./1-लैखा/2015/2196-2237, दिनांक 16.9.2015 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के आम चुनाव, 2015/3प चुनाव के लिए वाहन दरों के बारे में सभी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत/नगरपालिका, हरियाणा को लिखा गया है कि परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा यीं गई हिदायतों के अनुसार वाहन किराये पर लेभे के लिए तीन राजपत्रित अधिकारियों की कगोटी गठित करके छितीय नियमानुसार निर्णय अपने रहार पर लें। यह सूखना ई-जैल/आयोग यीं डीजल/पेट्रोल द्वारा आपको भेजी जा चुकी है। डीजल/पेट्रोल की अदायगी अलग से की जानी है जिसके लिए आपको पी०ओ०एल० मद में राशि पहले ही अलाठ की हुई है।</p>
<p>6. चुनाव मद में अलाठ यीं गई राशि के अतिरिक्त बजट अलाठ करने से बारे।</p>	<p>चुनाव मद में अलाठ यीं गई राशि यम प्रयोग प्रथम चरण व छितीय चरण में किया जाये। आयोग द्वारा शेष राशि तृतीय चरण से पूर्व अलाठ कर दी जायगी।</p>

मुख्य लैखा अधिकारी
कृतों राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा।

